न्यायालय – भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, खूँटी

दा0 खा0 अपील वाद सं0– 39/2020-21

प्रथम पक्ष – अंजुम आरा पति मो0 फैजुल हक अंसारी
ग्राम– गुदरी चौक, थाना–लोअर बाजार, जिला–राँची।

द्वितीय पक्ष – अंचल अधिकारी, खूँटी।

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश	की गई कार्रवाई
23.12.20	अभिलेख आज उपस्थापित किया गया। अभिलेख एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।	

आवेदक ने वर्त्तमान वाद दा0 खा0 वाद सं0–1236R27/19-20 में अंचल अधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.04.2020 के विरूद्ध अपील दाखिल किया है जो निम्नवर्णित भूमि के दाखिल खारिज से संबंधित है:–

मौजा	थाना/थाना नं0	खाता नं0	प्लॉट नं0	रकबा(एकड़ में)
फुदी	खूँटी 221	55	485	0.44

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता कथन करते है कि उन्होंने उक्त भूमि का क्रय जैबुन निशा पति स्व0 नाजीर अली ग्राम पेयादाटोली अपर बाजार, थाना–कोतवाली, जिला रांची से विक्रय पट्टा केवाला सं0 123/111 दिनांक 27.01.2015 से क्रय किया है एवं अंचल अधिकारी द्वारा नामांतरण अस्वीकृत किये जाने के पश्चात् इस न्यायालय में अपील दायर किया गया है।

अंचल अधिकारी, खूँटी के प्रतिवेदन अनुसार आवेदित भूमि का आवेदक के द्वारा मूल पट्टा प्रस्तुत नहीं करने तथा आवेदन में पट्टा सं0 111 दिनांक 27.02.15 खाता 55 प्लॉट 485 रकबा 0.44 एकड़ के जगह ऑनलाईन आवेदन में पट्टा सं0 230 दिनांक 19.02.15 खाता 55 प्लॉट 485 रकबा 0.05 एकड़ दर्ज किये जाने के कारण नामांतरण अस्वीकृत की गयी है।

अधिवक्ता ने बहस के दौरान बताया कि आवेदन के समय पट्टा की छायाप्रति दाखिल की गयी थी उक्त भूमि का निबंधन सं0 111 दिनांक 27.02.15 है जिसमें भूमि का खाता सं0 55 प्लॉट सं0 485 रकबा 0.44 एकड़ अंकित है। ऑनलाईन करते समय भुलवश पट्टा सं0 230 दिनांक 19.02.15 खाता 55 प्लॉट 485 रकबा 0.05 एकड़ दर्ज हो गया है। जिसके कारण अंचल अधिकारी, खूँटी ने नामांतरण अस्वीकृत कर दिया है। अन्त में विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अपील स्वीकार करने का प्रार्थना करते है।

अधिवक्ता के बहस को सुना एवं दाखिल किये गये कागजातों का अवलोकन किया। आवेदक द्वारा दाखिल किये गए मूल निबंधन पट्टा का अवलोकन किया एवं पाया कि उक्त भूमि की बिक्री निबंधन सं0 123/111 दिनांक 27.01.15 से की गयी है जिसमें भूमि का खाता सं0 55 प्लॉट सं0 485 रकबा 0.44 एकड़ अंकित है। आवेदक द्वारा ऑनलाईन करते समय भुलवस पट्टा सं0 230 दिनांक 19.02.15 खाता 55 प्लॉट 485 रकबा 0.05 एकड़ दर्ज कर दिया गया।

अतः अधिकारी, खूँटी को **Remand** निर्देश दिया जाता है कि आवेदक से पुनः नये शीरे से आवेदन प्राप्त करते हुए दाखिल–खारिज हेतु न्यायसंगत कार्रवाई की जाय।

Digitally signed by JITENDRA MUNDA
Date: 2021.08.16 12:05:53 +05:30
Location: 10.93.43.4

लेखापित एवं संशोधित

23/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

23/12/20

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।